

नौएडा**नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण**प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6, नौएडा-201301, उ०प्र०
वेबसाइट: www.noidaauthorityonline.com**सार्वजनिक सूचना**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि योजना कोड 2006-07 (एच) (02) एम आई जी/एच आई जी आवंटियों को फलैटों के निर्माण में 1 वर्ष से अधिक समय लगने के कारण उनके द्वारा फलैटों के विरुद्ध जमा कराई कुल धनराशि पर ब्याज देने हेतु प्राधिकरण की 171 वीं बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण के संचालक मंडल द्वारा आवंटियों के आवेदन को स्वीकार करते हुए 10% ब्याज की धनराशि तल वार फलैटों की बढ़ी हुई कीमत में समायोजन किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

एच आई जी :-

तल	जमा करायी जाने वाली अवशेष राशि	जमा कराई जाने वाली राशि	रिशङ्कयूल की गई राशि	13% ब्याज सहित किस्त प्रति छमाही
भूतल	₹ 8,57,500	₹ 1,57,500	₹ 7,00,000	₹ 3,84,500
प्रथम तल	₹ 7,19,440	₹ 19,440	₹ 7,00,000	₹ 3,84,500
द्वितीय तल	₹ 5,34,850	₹ 2,34,850	₹ 3,00,000	₹ 1,64,800
तृतीय तल	₹ 3,96,550	₹ 96,550	₹ 3,00,000	₹ 1,64,800

एम आई जी :-

तल	जमा करायी जाने वाली अवशेष राशि	जमा कराई जाने वाली राशि	रिशङ्कयूल की गई राशि	13% ब्याज सहित किस्त प्रति छमाही
भूतल	₹ 5,39,450	₹ 2,39,450	₹ 3,00,000	₹ 1,64,800
प्रथम तल	₹ 4,72,850	₹ 1,72,850	₹ 3,00,000	₹ 1,64,800
द्वितीय तल	₹ 3,84,050	₹ 84,050	₹ 3,00,000	₹ 1,64,800
तृतीय तल	₹ 3,17,350	₹ 17,350	₹ 3,00,000	₹ 1,64,800

1. रिशङ्कयूलमेंट की गई ब्याज सहित किस्त प्रति 6 माह के अंतराल पर आवंटन की तिथि से (2) किस्तों में जमा करनी होगी।
2. फलैटों का एच पी टी ए/पट्टा प्रलेख निष्पादन के लिये अंतिम तिथि 11.05.2011 की जाती है। दिनांक 11.05.2011 के उपरान्त एच पी टी ए/पट्टा प्रलेख निष्पादित न किये जाने एवं कब्जा न लिये जाने की स्थिति में ₹ 100/- प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

(एन. पी. गौतम)
महा प्रबंधक (भवन)

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा